संख्या—06 / एफ1—02 / 2026 श्र0सं0—

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक —

विषयः **वित्तीय वर्ष 2026—27 में राज्य योजना, बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित राशि क्रमशः सामान्य शीर्ष के लिए ₹ 231.00 लाख (₹ दो करोड़ इकत्तीस लाख), अनुसूचित जाति शीर्ष के लिए ₹ 60.00 लाख (₹ साठ लाख) एवं अनुसूचित जनजाति शीर्ष के लिए 10.00 लाख (₹ दस लाख) अर्थात कुल ₹ 301.00 लाख (₹ तीन करोड़ एक लाख) मात्र के लागत पर व्यय की स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए राज्य योजना, बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित राशि क्रमशः सामान्य शीर्ष के लिए ₹ 231.00 लाख (₹ दो करोड़ इकत्तीस लाख), अनुसूचित जाति शीर्ष के लिए ₹ 60.00 लाख (₹ साठ लाख) एवं अनुसूचित जनजाति शीर्ष के लिए 10.00 लाख (₹ दस लाख) अर्थात कुल ₹ 301.00 लाख (₹ तीन करोड़ एक लाख) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या—12888 / वि० दिनांक—03.12.2024 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है :—

(i) **सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए**— मुख्य शीर्ष—2230—श्रम, रोजगार और कौशल विकास—उप मुख्य शीर्ष—01—श्रम—लघु शीर्ष—103—सामान्य श्रम कल्याण— माँग सं०—26— उप शीर्ष—0103—बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड—26—2230011030103) के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगी :—

विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
13— कार्यालय व्यय	
0103.13.01 कार्यालय व्यय	1,000
0103.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	1,00,00,000
20— अन्य प्रशासनिक व्यय	
0103.20.02 कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार	24,98,000
0103.20.03 प्रशिक्षण व्यय	1,000
21— सामग्री और आपूर्ति	
0103.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	33,60,000
0103.21.02 दवा भंडार	1,20,000
0103.21.03 आहार / पथ्य	1,20,000
0103.28.04 व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवाएँ	10,00,000
37— अनुग्रह अनुदान	
0103.37.01 अनुग्रह अनुदान	60,00,000
योग—26—2230.01.103.0103—बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	**2,31,00,000**

(₹ दो करोड़ इकत्तीस लाख) मात्र ।

(ii) अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए– मुख्य शीर्ष–2230– श्रम, रोजगार और कौशल विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–माँग सं०–26–उप शीर्ष–0104–बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड–26–2230017890104) के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगीः–

विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
21– सामग्री और आपूर्ति	
0104.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	22,40,000
0104.21.02 दवा भंडार	80,000
0104.21.03 आहार / पथ्य	80,000
37– अनुग्रह अनुदान	
0104.37.01 अनुग्रह अनुदान	36,00,000
योग– 26–2230.01.789.0104 – बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण	**60,00,000**

(₹ साठ लाख) मात्र।

(iii) अनुसूचित जनजाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए– मुख्य शीर्ष–2230– श्रम, रोजगार और कौशल विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–माँग सं०–26–उप शीर्ष–0102–बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड–26–2230017960102) के अंतर्गत निम्न इकाईयों में विकलनीय होगीः–

विषय शीर्ष	बजट उपबंध (₹)
21– सामग्री और आपूर्ति	
0102.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	2,80,000
0102.21.02 दवा भंडार	10,000
0102.21.03 आहार/पथ्य	10,000
37– अनुग्रह अनुदान	
0102.37.01 अनुग्रह अनुदान	7,00,000
योग– 26–2230.01.796.0102 – बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण	**10,00,000**

(₹ दस लाख) मात्र।

अर्थात (i)+(ii)+(iii) के तहत कुल राशि ₹ 301.00 लाख (₹ तीन करोड़ एक लाख) मात्र।

2. प्राप्त बजट उपबंध के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल–**2100 विमुक्त** बाल श्रमिकों को पुनर्वासित किया जा सकता है, जिसके विषयवार अनुमानित व्यय विवरण निम्न प्रकार हैः–

(i) सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए– मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम–लघु शीर्ष–103–सामान्य श्रम कल्याण– माँग सं०–26–उप शीर्ष–0103–बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड–26–2230011030103) के अंतर्गत :–

A	**1200 विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु**			
क्र. सं.	इकाई का नाम	राशि (₹)	अधिकतम विमुक्त किये जाने वाले बाल श्रमिकों की संख्या	राशि (₹) x बाल श्रमिकों की संख्या
क	बाल श्रमिक पुनर्वास–सह–कल्याण कोष में जमा करना	5000	1200	**60,00,000**
ख	विमुक्ति के समय भोजन नास्ता	100	1200	**1,20,000**
ग	विमुक्ति के समय दवा	100	1200	**1,20,000**
घ	सामग्री एवं पूर्तिया	2800	1200	**33,60,000**
ड.	बाल श्रम उन्मूलन हेतु सेमिनार, सिमपोजियम, जागरूकता आदि			**24,98,000**
च	बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रशिक्षण			**1,000**
छ	बाल श्रमिक कोषांग का कार्यालय व्यय			**1,000**
ज	संविदा के आधार पर धावा दल के वाहन की व्यवस्था हेतु			**1,00,00,000**
झ	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ			**10,00,000**
			कुल योग–	**2,31,00,000**

(₹ दो करोड़ इकत्तीस लाख) मात्र ।

(ii) **अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए**– मुख्य शीर्ष–2230– श्रम, रोजगार और कौशल विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–माँग सं०–26–उप शीर्ष–0104–बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड–26–2230017890104) के अंतर्गत :–

B	**800 विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु**			
क्र. सं.	**इकाई का नाम**	**राशि (₹)**	**अधिकतम विमुक्त किये जाने वाले बाल श्रमिकों की संख्या**	**राशि (₹) x बाल श्रमिकों की संख्या**
क	बाल श्रमिक पुनर्वास–सह–कल्याण कोष में जमा करना	5000	720	**36,00,000**
ख	विमुक्ति के समय भोजन नास्ता	100	800	**80,000**
ग	विमुक्ति के समय दवा	100	800	**80,000**
घ	सामग्री एवं पूर्त्तिया	2800	800	**22,40,000**
			कुल योग–	**60,00,000**

(₹ साठ लाख) मात्र ।

(iii) **अनुसूचित जनजाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए**– मुख्य शीर्ष–2230– श्रम, रोजगार और कौशल विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–माँग सं०–26–उप शीर्ष–0102–बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपत्र कोड–26–2230017960102) के अंतर्गत :–

C	**100 विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु**			
क्र. सं.	**इकाई का नाम**	**राशि (₹)**	**अधिकतम विमुक्त किये जाने वाले बाल श्रमिकों की संख्या**	**राशि (₹) x बाल श्रमिकों की संख्या**
क	बाल श्रमिक पुनर्वास–सह–कल्याण कोष में जमा करना	5000	140	**7,00,000**
ख	विमुक्ति के समय भोजन नास्ता	100	100	**10,000**
ग	विमुक्ति के समय दवा	100	100	**10,000**
घ	सामग्री एवं पूर्त्तिया	2800	100	**2,80,000**
			कुल योग–	**10,00,000**

(₹ दस लाख) मात्र ।

अर्थात (i)+(ii)+(iii) का कुल योग ₹ 301.00 लाख (₹ तीन करोड़ एक लाख) मात्र।

3. यह चालू योजना है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2244 दिनांक–02.05.2025 द्वारा अवधि विस्तार एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
4. इस योजना के तहत व्यय की जानेवाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी श्रमायुक्त के सचिव/संबंधित सभी उप श्रमायुक्त/संबंधित सभी सहायक श्रमायुक्त/संबंधित सभी श्रम अधीक्षक एवं संबंधित सभी जिला पदाधिकारी होंगे ।
5. इसकी निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी ।
6. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
7. इस योजना की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव पर सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या–06/एफ1–01/2026 श्र0सं0– 2121 पटना, दिनांक– 16/4/26

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, वित विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना /सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/श्रमायुक्त के सचिव, पटना/प्रशाखा–02(सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष) एवं आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.26
(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव।